UPBS010040542025

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं.1) बस्ती।
उपस्थितः–शिवचन्द(उच्चतर न्यायिक सेवा) आर्ईडी.नं०– यू.पी. 6040
सत्र परीक्षण वाद संख्या– 1011/2025

उत्तर प्रदेश सरकार बनाम

1. संजय कुमार
2. अमन कुमार } **पुत्रगण रामकिशुन**
3. सोनू निगम
4. रामकिशुन पुत्र भलभेद्दर
5. विष्णुप्रसाद पुत्र रामराज
निवासीगण पिडावल, थाना नगर, जिला बस्ती
अ०सं० 144/2023
धारा 147, 308, 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना नगर, जिला बस्ती।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद, थाना नगर, जिला बस्ती पुलिस द्वारा अभियुक्तगण **1. संजय कुमार, 2. अमन कुमार, 3. सोनू निगम**, **4. रामकिशुन** व **5. विष्णुप्रसाद** के विरूद्ध मुकदमा अ०सं० **144/2023** अंतर्गत धारा 147, 308, 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोपपत्र प्रेषित करने पर तथा दिनांक 02.08.2023 को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा दिनांक 25.07.2025 को सत्र सुपुर्दगी के उपरान्त विचारण प्रारम्भ हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा सुमित्रा पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम पिडावल, थाना नगर जिला बस्ती की निवासी है। दिनांक 21.05.2023 को समय करीब 10.00 बजे रात को गांव के कुछ दबंग व मनबढ़ संजय कुमार पुत्र रामकिशुन, अमन कुमार पुत्र रामकिशुन, रामकिशुन पुत्र बलभेद्दर, सोनू निगम पुत्र रामकिशुन व विष्णु प्रसाद पुत्र रामराज ने मिलकर उसके पति राजकुमार पुत्र घोलर, आनन्द राव पुत्र रामसजीवन, लक्की पुत्र त्रिवेनी तथा रामनरायन पुत्र चईत्तर एवं वादिनी को उसके घर पर चढ़कर मां, बहन की गाली देते हुए डण्डा, लात–मुका से मार पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिये तथा जान से मारने की धमकी दिये। उनके के मारने पीटने से उसके पति राजकुमार के सिर में गम्भीर चोट लगी, जिससे वह मौके पर गिरकर बेहोश हो गये तथा अन्य लोगों को भी काफी चोटें आयी है। वादिनी मुकदमा के तहरीर के आधार पर थाना नगर द्वारा अभियोग अ०सं० **144/2023** पंजीकृत किया गया।

Digitally signed by SHEO CHAND
Date: 2026.04.07 10:23:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. वादिनी मुकदमा के तहरीर/प्रार्थनापत्र **प्रदर्श क–1** के आधार पर थाना नगर जिला बस्ती द्वारा प्रकरण अ०सं० **144/2023** दिनांक 22.05.2023 को समय 12.46 बजे अभियुक्तगण संजय कुमार, अमन कुमार, सोनू निगम, रामकिशुन व विष्णुप्रसाद निवासीगण पिडावल, थाना नगर, जिला बस्ती के विरूद्व अंतर्गत धारा–147, 308, 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** पंजीकृत किया गया। जिसकी प्रवृष्टि नकल रपट कायमी सं०–31 दिनांक 22.05.2023 को समय 12.46 बजे **प्रदर्श क–3** में इन्द्राज किया गया।

4. मामला पंजीकृत होने के पश्चात विवेचक को विवेचना सुपुर्द की गयी। साक्षियों का साक्ष्यांकन करने एवं मौके पर जाकर मौका मुआयना कर, मौके का नक्शा नजरी **प्रदर्श क–11,** तैयार किया, आघात आख्या **प्रदर्श क–4** लगायत **प्रदर्श क–8,** एक्स रे रिपोर्ट **प्रदर्श क–9** व **प्रदर्श क–10** का अवलोकन करने तथा मामले में घटना का विस्तृत विवेचना पश्चात अभियुक्तगण संजय कुमार, अमन कुमार, सोनू निगम, रामकिशुन व विष्णुप्रसाद के अंतर्गत धारा–147, 308, 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० में वर्णित अपराध का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र **प्रदर्श क–12** न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा दिनांक 02.08.2023 को प्रसंज्ञान लेकर मामला अपराधिक वाद सं०–5392/2023 के रूप में पंजीकृत किया गया।

5. प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचाणीय होने के कारण, पत्रावली दिनांक 25.07.2025 को सत्र सुपुर्द की गयी। तत्पश्चात पत्रावली को सत्र वाद सं० 1011/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया।

6. अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त अभियुक्तगण संजय कुमार, अमन कुमार, सोनू निगम, रामकिशुन व विष्णुप्रसाद के प्रति धारा–147, 308, 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० में वर्णित अपराध का दिनांक 19.08.2025 को न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

7. अभियोजन की आ्ेर से अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये है–

क्रमांक सं०	**साक्षी**	**पी०डब्लू०**	**सहभागिता**
1.	सुमित्रा	1	वादिनी मुकदमा
2.	राजकुमार	2	तथ्य के साक्षी
3.	आनन्द राव	3	तथ्य के साक्षी
4.	रामनरायन	4	तथ्य के साक्षी
5.	विन्द्रमती	5	तथ्य के साक्षी
6.	लक्की	6	तथ्य के साक्षी

7.	त्रिवेनी	7	तथ्य के साक्षी

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

8. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की तरफ से निम्नलिखित प्रपत्र दाखिल किये गये हैं–

क्रमांक सं०	साक्ष्य	प्रदर्श	साबित
1.	तहरीर/प्रार्थनापत्र	क–1	पी०डब्लू० 1
2.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	क–2	330 बी.एन.एस.एस.
3.	जी.डी./कायमी	क–3	330 बी.एन.एस.एस.
4.	आघात आख्या	क–4 ता क–8	330 बी.एन.एस.एस.
5.	एक्स रे रिपोर्ट	क–9 व क–10	330 बी.एन.एस.एस.
6.	नक्शा नजरी	क–11	330 बी.एन.एस.एस.
7.	आरोपपत्र	क–12	330 बी.एन.एस.एस.

9. अभियुक्तगण संजय कुमार, अमन कुमार, सोनू निगम, रामकिशुन व विष्णुप्रसाद का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 19.03.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए साक्षीगण के द्वारा दिये गये साक्ष्य के संबंध में कुछ नहीं का कथन करते हुए सही बयान दिये जाने का कथन किया है, मुकदमें के संबंध में मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए सफाई साक्ष्य नहीं देने का कथन किया है।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

11. मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दिनांक 21–05–2023 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि बहद स्थान ग्राम पिडावल, थाना नगर, जिला बस्ती में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव गठित करते हुए वादिनी व उसके पति तथा परिवारीजन को गाली–गुप्ता देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी, डण्डा, व लात मुका से मारपीटकर साधारण व गम्भीर चोटें पहुॅचायी, जिससे वादिनी मुकदमा के पति को प्राणघातक गम्भीर चोटें आयी जिससे वह मौके पर बेहोश होकर गिर गया तथा रामनरायन के बायें हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हो गया ?

12. इस संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से कथन किया गया है कि दिनांक 21–05–2023 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि बहद स्थान ग्राम पिडावल, थाना नगर, जिला बस्ती में अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय से वादिनी मुकदमा सुमित्रा व उसके परिवार के सदस्यों को गाली–गुप्ता देते हुए, लाठी, डण्डा व लात मुका से मारपीट कर चोटें पहुॅचायी जिसमें वादिनी मुकदमा व उसके पति को गंभीर चोट

आयी। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध चोटहिलों की आघात आख्या से होती है। अतः अभियुक्तगण को अधिरोपित आरोपों के संबंध में दण्डित किए जाने की याचना की है।

13. प्रतिउत्तर में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है, अभियुक्तगण ने वादिनी व उसके परिजनों पर जान से मारने की नियत से को्इ चोटें नहीं पहुँचायी है आ्ैर न ही वादिनी व उसके परिवारजनों को गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण को रंजिशन मुल्जिम बनाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

14. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना वाद युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के आधार पर न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जाना है कि अभियोजन पक्ष अपने इस विधिक दायित्व का निर्वहन करने में किस सीमा तक सफल रहा है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से साबित हो पाया है या नहीं।

15. इस संबंध में अभियोजन पक्ष की आ्ेर से **कुल 07** साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिसमें तथ्य के साक्षी **पी०डब्लू०/1 सुमित्रा** वादिनी मुकदमा ने दिनांक 10.10.2025 को न्यायालय में दिए गए सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना हुये दो साल से ज्यादा का समय हो गया है। रात के करीब 10.00 बजे के आसपास की बात है। वह अपने गांव के रामआसरे के यहां शादी में गयी थी, वही पर आकर गांव के कुछ लोगों ने बताया कि गांव के संजय, अमन, रामकिशुन, सोनू व विष्णु प्रसाद मिलकर उसके पति राजकुमार, आनन्द राव, लकी, रामनरायन व उसे गाली–गुप्ता देते हुए लाठी, डंडा से मार–पीट कर घायल कर दिये है। मुल्जिमान के मारने से उसके पति राजुकमार के सिर में काफी गंभीर चोट आयी है जिससे वह बेहोश हो गया है। घटना के संबंध में उसने एक अज्ञात व्यक्ति से दरखास्त लिखवाकर थाने पर दिया था। सभी चोटहिलो का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल बहादुरपुर में हुआ था। उसके पति राजकुमार को इलाज के लिए जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर कर दिया गया था। उसने जो थाने पर दरखास्त दिया था वह शामिल पत्रावली का०सं० 3 क/13 है, जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है। साक्षी के पुष्टि के आधार पर <u>**प्रदर्श क–1**</u> डाला गया। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था।

16. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा साक्षी **पी०डब्लू०/1** से पर्याप्त **जिरह** की गयी। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पी.डब्लू.–1 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि जो तहरीर थाने पर दी गयी थी थी उसी के अनुसार बयान देने के लिए उसके पति ने कहा था। थाने पर दो दरखास्त दी गयी वह एक अपरिचित व्यक्ति से लिखवाया था। दरखास्त लिखने के बाद पढ़कर नहीं सुनाया था। उसने अपना हस्ताक्षर करके दे दिया था। संजय,

रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद उसके ही गांव के रहने वाले है, जिन्हें मजदूरी हेतु उसके पति साथ लेकर करके गये थे जहां पर मजदूरी के लेन देन को लेकर उसके पति व घर वालों को मुकदमें में फंसाने की धमकी दिया था। इसी नाते वह पहले ही थाने पर जा करके मुल्जिमान के खिलाफ शिकायत की थी। रामकिशुन ने उसी दिन उसके पति राजकुमार तथा घर के त्रिवेनि, आनन्द राव, किशोर कुमार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया था। साक्षी ने स्वयं कथन किया कि अभियुक्त कुमार की मृत्यु हो चुकी है जिससे सम्बंधित मुकदमा सी.जे.एम. न्यायालय में विचाराधीन है जिसमे उसके पति सहित घर के लोगों ने जमानत करायी है। **यह कहना सही है कि उनलोगों के मध्य विवाद सुलझ गया है।** साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि, घटना के दिन गांव में शादी थी। उसके घर के सभी लोग घटना के दिन रामआसरे के यहां थे, जहां पर मुल्जिमान भी मौजूद थे। घटना के दस दिन पहले उसके आदमी राजकुमार काम कराने के लिए मुल्जिमान को अपने साथ लेकर गये थे जहां पर मजदूरी की लेन देन को लेकर उसके पति व मुल्जिमा में विवाद हो गया था। वह किसी को भी अपने पति और घर के लोगों को मारते पीटते नहीं देखी थी। रामआसरे का .... **बारात आते समय उसके घर के लोग छप्पर में बैठे हुए थे, जहां काफी लोग थे। उसी में से किसी ने छप्पर को ढकेल दिया जिससे उसके आदमी व उसके घर वालों को चोटे आयी। मुल्जिमान के मारने से उसके घर के लोगों को चोट नहीं आयी थी, न ही उसने उनलोगों को मारते पीटते ही देखा था।** वादिनी के उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसे व उसके परिजनों को आयी चोटें अभियुक्तगण द्वारा नहीं पहुॅचायी गयी है आैर न ही उनके द्वारा उसे व उसके परिजनों को गाली व जान से मारने की धमकी दी गयी है। इस प्रकार पी.डब्लू.–2 के बयान में अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

17. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०/2 राजकुमार** ने अपने मुख्य परीक्षा में दिनांक 11.11.2025 को सशपथपूर्वक बयान किया कि घटना हुये लगभग ढाई साल से ज्यादा का समय हो गया है। गर्मी का समय था। वह अपने गांव के संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन को मजदूरी करने हेतु साथ ले करके काम के स्थानों पर जाया करता था। मजदूरी को लेन देन को ले करके उक्त सभी लोगो से उसका विवाद हो गया था। जिस पर मुल्जिमान ने उसको व उसके घर वालो को मुकदमें मे फंसाने के लिए धमकी दिया था। इस नाते उसकी पत्नी ने थाने पर जा करके मुल्जिमान के खिलाफ दरखास्त दिया था। घटना के दिन उसके गांव के रामआसरे के घर शादी थी। वही पर वह सभी लोग मौजूद थे। वही पर संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन भी मौजूद थे। **संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन लाठी, डन्डा से उनलोग को मारे पीटे नहीं थे और न ही गाली गुप्ता दिये थे।** बारात में भीड़ हो जाने के कारण कुछ लोगों ने हल्ला किया कि मुल्जिमान ने उसके परिवार वालो को मारा पीटा है सभी लोग दौड़ते हुए जा रहे थे और दौड़ते समय गिर जाने के कारण उसे और उसके घर वालों को चोट आयी थी। उसे व उसके परिवार वालों के खिलाफ रामकिशुन ने मुकदमा दर्ज

कराया है जिसमें वह, उसका भाई त्रिवेणी व किशोर कुमार तथा उसका भतीजा आनन्द राव मुल्जिम हैं। उनलोगो ने आपस में विवाद को सुलहतन निपटा लिया है। वह व उसके परिवार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह न्यायालय सी० जे०एम० बस्ती में लम्बित है। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को जिरह की अनुमति दी गयी।

18. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–2 से पर्याप्त **जिरह** की गयी, किन्तु जिरह में को्ई ए्सा तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे अभियोजन पक्ष के कथन को को्ई बल प्राप्त होता हो।बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी.डब्लू.–2 द्वारा पुलिस को धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए बयान से इंकार करते हुए कथन किया कि दरोगाजी को मैंने ए्सा को्ई बयान नहीं दिया था, यदि दरोगा जी ने मेरा बयान लिखा है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता हूॅ। अपनी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्लू.–2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि– घटना के दिनांक को मेरे गांव में शादी थी। **मजदूरी को ले करके मेरा व मेरे परिवार वालों का मुल्जिमान से विवाद हुआ था। जिसके कारण मेरी पत्नी ने मुकदमा दर्ज करा दिया था।** शादी में किसी ने हल्ला किया कि मुल्जिमानों ने मेरे घर वालो को मारा पीटा है, जिस पर हम लोग मौके पर दौड़कर जा रहे थे। **जहां पर गिर जाने के कारण एक दूसरे के उपर चढ़ जाने के कारण एक दूसरे को चोटें आयी थी। मुल्जिमानों ने मुझे मारा पीटा नहीं था और न ही मुझे जान से मारने की धमकी दिया था। –––मेरा सिर मुल्जिमान के मारने से नही फूटा था गिर जाने के कारण फूटा था।** साक्षी को उसका बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० "दिनांक 21–05–2023 धमकी देकर चले गये।" पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिये इसका कारण मैं नही बता सकता। हम लोगो के खिलाफ रामकिशुन ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसमें हम लोग मुल्जिम हैं। **हम लोगो ने आपस में विवाद को सुलहतन निपटा लिया है।** मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह न्यायालय सी० जे०एम० बस्ती में लम्बित है। जिसमें हम सभी लोगो ने जमानत कराया है। उक्त मुकदमें में संजय और उनके घर के लोगो ने मेरे और मेरे परिवार के पक्ष में बयान देने के लिए कहा है। इस प्रकार पी.डब्लू.–2 के बयान में अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

19. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०/3 आनन्द राव** ने अपने मुख्य परीक्षा में दिनांक 21.11.2025 को कथन किया है कि घटना हुये लगभग ढाई साल से ज्यादा का समय हो गया है। गर्मी का समय था। राजकुमार उसके सगे चाचा हैं जो गांव के ही संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन मजदूरी करने हेतु साथ ले जाया करता था। मजदूरी को लेनदेन को ले करके उक्त लोगों का उसके चाचा से विवाद हो गया था तथा मुल्जिमान ने उसके चाचा और उनके घर वालों को मुकदमें में फंसाने की धमकी दिया था। इसलिए उसके चाचा को गांव वालों

के चढ़ाने पर उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से थाने पर दरखास्त दिलवाया था जिस पर मुकदमा हुआ था। जिस दिन की घटना कही जाती है उस दिन उसके गांव के ही रामआसरे के घर शादी थी वही पर वह तथा उसके चाचा राजकुमार और उनका परिवार तथा संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन मौजूद थे। संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन ने लाठी डन्डा लेकर मारे पीटे नहीं थे न ही गाली गुप्ता दिये थे। बारात में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। उसी में कुछ लोगों ने हल्ला किये कि संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन ने उसके चाचा, चाची को मारा पीटा है। वह लोग दौड़ते हुये जा रहे थे कि रास्ते में गिर जाने के कारण उसे व उसके चाची सुमित्रा देवी, चाचा राजकुमार तथा राम नरायन को चोटें आयी थी। चाची द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के कारण पुलिस ने उनलोगों की डाक्टरी करायी थी। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को जिरह की अनुमति दी गयी।

20. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा साक्षी पी०डब्लू०/3 से पर्याप्त **जिरह** की गयी, किन्तु जिरह में को्इ ए्सा तथ्य प्रकाश में नहीं आया,जिससे अभियोजन पक्ष के कथन को को्इ बल प्राप्त होता हो। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी.डब्लू.–3 द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए बयान से इंकार करते हुए कथन किया कि दरोगाजी को मैने ए्सा को्इ बयान नहीं दिया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्लू.–3 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि– मेरे और मेरे परिवार वालो के खिलाफ राम किशुन ने मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें मैं, मेरे भाई त्रिवेणी व किशोर कुमार तथा मेरा भतीजा आनन्द राव मुल्जिम हैं। **हम लोगो ने आपस में विवाद को सुलहतन निपटा लिया है।** मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह न्यायालय सी० जे०एम० बस्ती में लम्बित है। घटना के दिन मेरे गांव में शादी थी... .. मजदूरी को ले करके पहले विवाद हुआ था, जो निपटा लिया गया है। **हमें जो चोट आयी थी वह दौड़ते समय गिर जाने के कारण आयी थी मुल्जिमानों के मारने से मुझे चोट नही आयी थी।** चाचा, चाची को कहां चोट आयी थी इस समय मुझे याद नही है। साक्षी के उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसे व उसके परिजनों को आयी चोटें अभियुक्तगण द्वारा नहीं पहुॅचायी गयी है आ्ैर न ही उनके द्वारा गाली व जान से मारने की धमकी दी गयी है। इस प्रकार पी.डब्लू.–3 के बयान में अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

21. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०/4 रामनरायन** ने अपने मुख्य परीक्षा में दिनांक 28.11.2025 को कथन किया है कि घटना हुये लगभग तीन साल हो रहा है। गर्मी का मौसम था। घटना के दिनांक को उसके गांव के रामआसरे के घर शादी थी। उसके गांव के ही संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन मौजूद थे। उसके चाचा राजकुमार ठेके का काम करते हैं और उसी काम के सिलसिले में संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन को अपने

साथ काम के सिलसिले में ले जाते थे। काम के सिलसिले में उसके चाचा राजकुमार से मुल्जिमान का विवाद हो गया था। **जिस पर राजकुमार की पत्नी सुमित्रा ने मुकदमा दर्ज करा दिया था। मारपीट की कोई घटना नही हुई थी। संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन उनलोगों को लाठी, डन्डा से मारे पीटे नही थे।** बारात में भीड़ हो जाने के कारण कुछ लोगो ने हल्ला किया कि परिवार वालो को मारा पीटा है वह, राजकुमार और परिवार के लोग दौड़ते हुये जा रहे थे। दौड़ते समय गिर जाने के कारण दाहिने हाथ में चोट आयी थी। चूंकि मुल्जिमान ने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दिया था इसी नाते राजकुमार की पत्नी सुमित्रा ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के कारण पुलिस वालो ने उनलोगों की डाक्टरी करायी थी। मुल्जिमान के मारने से उनलोगो को चोट नहीं आयी थी। उसका दरोगा जी ने बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को जिरह की अनुमति दी गयी।

22. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–4 से पर्याप्त **जिरह** की गयी, किन्तु जिरह में कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे अभियोजन पक्ष के कथन को कोई बल प्राप्त होता हो। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी.डब्लू.–4 द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए बयान से इंकार करते हुए कथन किया कि दरोगाजी को मैने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, यदि दरोगाजी ने मेरा बयान लिखा है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता हूं। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पी.डब्लू.–4 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि– घटना के दिनांक को मेरे गांव में रामआसरे के घर शादी थी। मजदूरी को ले करके मुल्जिमान से मेरा कोई विवाद नही था बल्कि राजकुमार से विवाद था। शादी में किसने राजकुमार के घर वालों को मारने का हल्ला किया यह मैं नहीं बता सकता। **हल्ला सुनकर हम लोग दौड़ते हुये जा रहे थे गिरने में मेरे हाथ में चोट आयी थी। मुल्जिमान ने मुझे मारा पीटा नही था। यह कहना सही है कि हम लोगो के बीच सुलह हो गया है इस नाते ऐसा बयान दे रहे हैं,** किन्तु, यह कहना गलत है कि सुलह हो जाने के कारण सही बात नहीं बता रहा हूँ। साक्षी के उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसे व उसके परिजनों को आयी चोटें अभियुक्तगण द्वारा नहीं पहुंचायी गयी है और न ही उनके द्वारा गाली व जान से मारने की धमकी दी गयी है। इस प्रकार पी०डब्लू० 4 के बयान में अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

23. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०/5 विन्द्रमती** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह अनपढ़ देहाती महिला है। गर्मी का समय था। उसके गांव के रामआसरे के यहां शादी थी। रामआसरे में बिरादरी के है। वही पर वह और उसके गांव के राजकुमार उनकी पत्नी सुमित्रा देवी और उनके परिवार के लोग मौजूद थे। संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन मौजूद थे। **उसके सामने मारपीट की कोई घटना नही हुई थी।** उसने सुना था कि राजकुमार और उनके घर के लोग दौड़ते हुये जा रहे थे गिरने से चोट आयी। उसने किसी को

मारते पीटने नहीं देखा था। उसका बयान दरोगा जी ने नही लिया था। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को जिरह की अनुमति दी गयी।

24. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–5 से पर्याप्त **जिरह** की गयी, किन्तु जिरह में कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे अभियोजन पक्ष के कथन को कोई बल प्राप्त होता हो। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी.डब्लू.–5 द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए बयान से इंकार करते हुए कथन किया कि दरोगाजी को मैने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, यदि दरोगाजी ने मेरा बयान लिखा है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकती हूं। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पी.डब्लू.–5 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि राजकुमार मेरे कुछ नहीं लगते हैं, मेरे गांव के है। रामआसरे और राजकुमार और संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन सभी लोग एक ही बिरादरी के है। रामआसरे के घर शादी थी जहां पर हम सभी लोग मौजूद थे। **मैंने संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन को राजकुमार, सुमित्रा, आनन्दराव, रामनरायन और लक्की को मारते पीटने नही देखा था। मेरा दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया था। मैं पढ़ी लिखी महिला नहीं हूँ।** मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राजकुमार ठेके पर काम करते या करवाते है। ––– मुझे पुलिस वालो ने कैसे गवाह बना लिया इसकी वजह मैं नहीं बता सकती। **हल्ला गोहार सुनकर कुछ लोग दौड़ते हुए जा रहे थे और दौड़ते समय गिर जाने के कारण कुछ लोगों को चोट आयी थी।** इस प्रकार पी०डब्लू० 5 के बयान में अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

25. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०/6 लक्की** ने अपने मुख्य परीक्षा में दिनांक 22.01.2026 को कथन किया है कि घटना हुये लगभग ढाई साल से ज्यादा का समय हो गया है। उसके गांव के संजय, रामकिशुन, विष्णु प्रसाद, सोनू व अमन को मजदूरी करने के लिए राजकुमार अपने साथ जगह जगह ले जाया करते थे। वह सुना था कि मजदूरी की लेन देन को ले करके राजकुमार से संजय आदि का विवाद हो गया था तथा सभी मुल्जिमानों ने राजकुमार को मुकदमें में फंसाने की धमकी दिया था। उसे इस बात की जानकारी नही है कि राजकुमार की पत्नी ने थाने पर कोई दरखास्त दिया था कि नहीं। घटना के दिनांक को गांव के रामआसरे के घर शादी थी। वही पर सभी लोग मौजूद थे। संजय, रामकिशुन, विष्णु प्रसाद, सोनू व अमन लाठी डन्डा लेकर राजकुमार, सुमित्रा, आनन्दराव, रामनरायन और लक्की को मारा पीटा नहीं था। **उसने मारते पीटते कोई घटना नहीं देखा था।** बारात में भीड़ हो जाने के कारण हल्ला हुआ कि संजय और उनके घर वाले रामकिशुन के परिवार वालो को मारा पीटा था। घटना के संबंध में दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को जिरह की अनुमति दी गयी।

26. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–6 से पर्याप्त **जिरह** की गयी, किन्तु जिरह में को्ंइ ए्ेसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे अभियोजन पक्ष के कथन को को्ंइ बल प्राप्त होता हो। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी.डब्लू.–6 द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए बयान से इंकार करते हुए कथन किया कि दरोगाजी को मैने ए्ेसा को्ंइ बयान नहीं दिया था, यदि दरोगाजी ने मेरा बयान लिखा है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता हूं। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पी.डब्लू.–6 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि सुमित्रा देवी मेरी चाची लगती हैं। रामकिशुन ने मेरे पापा त्रिवेनी और बड़े पिता किशोर कुमार तथा मेरे चचेरे भाई आनन्दराव के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है। वह मुकदमा सी०जे०एम० न्यायालय में लम्बित था जो सुलहतन समाप्त कर लिया गया है। घटना के दिनांक को गांव में शादी थी। मजदूरी को ले करके मेरे चाचा राजकुमार से मुल्जिमान का विवाद हुआ था। जिसके कारण सुमित्रा देवी मेरी चाची ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था। **शादी में हल्ला किया कि संजय और उनके घर वाले ने मेरे चाचा आदि को मारे पीटे है। उसी हल्ला पर हम लोग दौड़ते हुये जा रहे थे जिससे गिर पड़े और एक दूसरे के उपर चढ़ जाने के कारण चोटें आयी। मुल्जिमानों ने मारा पीटा नही था और न ही जान से मारने की धमकी दिया था।** हल्ला गोहार सुनकर कुछ लोग दौड़ते हुए जा रहे थे और दौड़ते समय गिर जाने के कारण कुछ लोगों को चोट आयी थी। इस प्रकार पी०डब्लू० 6 के बयान में अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

27. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०/7 त्रिवेनी** ने अपने मुख्य परीक्षा में दिनांक 31.01.2026 को कथन किया है कि–– घटना हुये ढाई साल से ज्यादा का समय हो गया है। उसके गांव के संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद च अमन को मजदूरी करने के लिए उसके ही गांव के राजकुमार अपने साथ जगह–जगह ले जाया करते थे। सुना था कि मजदूरी की लेन देन को ले करके राजकुमार से संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन विवाद हो गया था। सभी लोगो को राजकुमार ने मुकदमें में फंसाने की धमकी दिया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि राजकुमार की पत्नी सुमित्रा ने थाने पर कोई दरखास्त दिया था कि नही। संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन लाठी, डन्डा लेकर राजकुमार, सुमित्रा, आनन्दराव, रामनरायन और उसके लड़के लक्की को मारे पीटे नहीं थे न ही उसने मारते पीटते देखा था। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था।

28. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–7 से पर्याप्त **जिरह** की गयी, किन्तु जिरह में को्ंइ ए्ेसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे अभियोजन पक्ष के कथन को को्ंइ बल प्राप्त होता हो। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी.डब्लू.–7 द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए बयान से इंकार करते हुए कथन किया कि दरोगाजी को मैने ए्ेसा को्ंइ बयान नहीं दिया था, यदि दरोगाजी ने मेरा बयान लिखा है

तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता हूं। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पी.डब्लू.–7 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि सुमित्रा देवी मेरी भयेऊ लगती हैं। मेरे भाई किशोर कुमार, मेरे भतीजे आनंद के ऊपर तथा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया था। वह मुकदमा सुलहतन समाप्त हो गया है। घटना के दिनांक को मेरे ही गांव के रामआसरे के यहां शादी थी। शादी विवाह में पत्तल गिलास कम पड़ जाने के कारण रामआसरे ने मुझे पत्तल गिलास लेने के लिए भेजा था। जब पत्तल गिलास लेकर वापस पहुंचा तो गांव वालों से पता चला कि बरात में काफी भीड़ हो गयी थी। **डी० जे० चल रहा था काफी हल्ला हो गया उसी में भगदड़ हो गयी भगदड़ में एक दूसरे के उपर चढ़ जाने के कारण राजकुमार, सुमित्रा, आनन्दराव, रामनरायन और लक्की को चोटें आयी थी। मैने संजय, रामकिशुन, सोनू, विष्णु प्रसाद व अमन को लाठी डन्डा लेकर राजकुमार, सुमित्रा, आनन्दराव, रामनरायन और लक्की को मारते पीटते नही देखा** तथा कथन किया कि यह कहना सही है कि हम लोगों को मुल्जिमान से सुलह हो गया इसलिए ऐसा बयान दे रहा हूँ। **मैने घटना को अपनी आंखों से नही देखा था और घटना के बारे में मुझे कुछ जानकारी नही है।** इस प्रकार पी०डब्लू० 7 के बयान में अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

29. यद्यपि की बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 330 BNSS में स्वीकार किया गया है। तथा उक्त प्रपत्रों पर क्रमशः प्रदर्श डाला गया है। किन्तु बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर लिये जाने मात्र से अभियोजन केस प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

30. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **संजय कुमार, अमन कुमार, सोनू निगम**, **रामकिशुन** व **विष्णुप्रसाद** के विरूद्ध लगाये गये अंतर्गत धारा–147, 308, 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० के दण्डनीय अपराध के आरोपों को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **संजय कुमार, अमन कुमार, सोनू निगम**, **रामकिशुन** व **विष्णुप्रसाद** को लगाये गये अंतर्गत धारा 147, 308, 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० के दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

31. वादिनी सुमित्रा द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी आैर उसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किए जाने का उल्लेख किया गया था आैर अन्वेषण के दौरान भी उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध बयान दिया था एवं अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता बतायी थी। न्यायालय के समक्ष भी वह शपथ पर सत्य बात कहने के लिए आबद्ध थी, लेकिन उसने न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार उसने न्यायालय के समक्ष जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है, जिससे उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया दं.प्र.सं. 1973 की धारा 344 (383 बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्तगण **संजय कुमार, अमन कुमार, सोनू निगम**, **रामकिशुन** व **विष्णुप्रसाद** को सत्र परीक्षण सं०–1011/2025 मु०अ०सं० 144/2023 अंतर्गत धारा–147, 308, 323, 325, 504, 506 भा०दं० सं० में वर्णित अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के निजी बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूजन को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा–437 ए द०प्र०सं० (481 बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत दाखिल जमानत प्रपत्र व बन्धपत्र 6 माह तक के लिए प्रभावी होगा।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा सुमित्रा ने तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का उल्लेख है। साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिनी सुमित्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा/प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित करने से इन्कार कर इस आशय से झूठा साक्ष्य दिया है कि उसके साक्ष्य का प्रयोग इस कार्यवाही में किया जाये। न्यायहित में यह आवश्यक एवं न्यायोचित है कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए इस साक्षी का समुचित विचारण किया जाय।

अतः अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा सुमित्रा द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिये जाने के संबंध में मेरे द्वारा अंतर्गत धारा–344 दं०प्र०सं० (383 बी.एन.एस.एस.) संज्ञान लिया जाता हैं। अतः अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 सुमित्रा के विरूद्ध पृथक से प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाय आ ैर उसे कारण बताआ े नोटिस जारी किया कि उसे मिथ्या साक्ष्य दिये जाने के लिए क्यों न दण्डित किया जाय।

(शिवचन्द)
दिनांक 06–04–2026 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
न्यायालय संख्या–1, बस्ती।
आ ेइ०डी०नं० यूपी6040

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवचन्द)
दिनांक 06–04–2026 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
न्यायालय संख्या–1, बस्ती।
आ ेइ०डी०नं० यूपी6040